कार्यालय अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या– 191 /रा0प0/2013 दिनाँक 01–03–2013

सेवा में,

1. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/
   गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
2. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तराखण्ड।

महोदय,

उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के समय पूरे प्रदेश में लगभग 15000 राजस्व वाद लम्बित थे तथा वित्तीय वर्ष 2012–13 में प्रथम दिवस को लगभग 48000 राजस्व वाद लम्बित पाये गये। इन 12 वर्षों में लम्बित राजस्व वादों की संख्या 15000 से बढ़ते–बढ़ते 48000 तक पहुँच गई है।

01 मई, 2012 को जब शासन द्वारा अध्यक्ष, राजस्व परिषद की नियुक्ति की गई तो उस समय यह स्थिति थी– प्रदेश में लम्बित राजस्व वादों की संख्या 48000 थी, जिनके निस्तारण हेतु एक व्यापक अभियान के तहत विशेषकर जनपद हरिद्वार, देहरादून एवं उधमसिंह नगर में कई बार सभी पीठासीन अधिकारियों के साथ बैठक की गई और अनुश्रवण किया गया। यह सुखद विषय है कि अब लम्बित राजस्व वादों की संख्या 48000 से घटकर माह जनवरी, 2013 तक 36000 रह गई है। इस प्रकार लम्बित राजस्व वादों की संख्या लगातार घट रहीं है, जो कि हर्ष का विषय है। इसके लिए समस्त जिलाधिकारी तथा अन्य पीठासीन अधिकारियों को मैं बधाई देता हूँ। 01 अप्रैल, 2012 से 31 जनवरी, 2013 तक कुल 1,31,000 राजस्व वाद दर्ज हुए और इसी अवधि में जो राजस्व वाद निस्तारित हुए वह 1,35,000 हैं। इससे स्पष्ट है कि जितने राजस्व वाद दायर हुए उससे ज्यादा राजस्व वादों का निस्तारण हुआ है, जो कि एक अच्छी प्रगति है।

जैसा कि मैनें माह मई, 2012 में निर्देशित किया था कि जितने वाद दायर होते है उससे डेढ गुना ज्यादा निस्तारण होना चाहिए। इसके लिए और अधिक प्रयास की आवश्यकता है। माह जनवरी, 2013 में जो आंकडे प्रस्तुत हुए हैं उसके अनुसार गढ़वाल मण्डल में जनपद हरिद्वार तथा कुमाँऊ मण्डल में जनपद अल्मोड़ा में दायर वादों की संख्या के सापेक्ष निस्तारण कम हुआ है। दोनों जिलाधिकारियों को और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार अपर आयुक्त, नैनीताल एवं अपर आयुक्त (न्या0), नैनीताल के न्यायालय में भी दायर वादों की संख्या ज्यादा है और निस्तारण कम हुआ है। दोनों पीठासीन अधिकारियों को इस ओर विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है।

मैं चाहूंगा कि माह मार्च में सभी पीठासीन अधिकारी अधिक से अधिक दिनों में न्यायालय में बैठकर वादों का निस्तारण करें। इस वर्ष वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि अंकित करते

समय विशेषकर वादों के निस्तारण की स्थिति का विशेष रूप से आंकलन होगा एवं तद्नुरूप प्रविष्टियॉ अंकित की जायेगी। जिलाधिकारी न केवल अपने न्यायालय में लम्बित वादों का निस्तारण करें अपितु अधीनस्थ अन्य न्यायालय की समीक्षा तथा अनुश्रवण दिन–प्रतिदिन के आधार पर करने की कार्यवाही करें ताकि लम्बित राजस्व वादों की संख्या में कमी आ सके।

इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि लम्बी अवधि से लम्बित वादों के निस्तारण में तीव्रता लाई जाय, जैसे 03 वर्ष से 09 वर्ष तक के लम्बित 4700 वाद हैं और 09 वर्ष से 15 वर्ष के बीच के लम्बित वादों की संख्या 255 है। विशेषकर नैनीताल जनपद में 9 वर्ष से अधिक लम्बित वादों की संख्या 107 है, जो कि बहुत ज्यादा है। इनके निस्तरण की ओर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

जिलेवार लम्बित राजस्व वादों की निस्तारण की स्थिति का विवरण मैं साथ में संलग्न कर प्रेषित कर रहा हूँ।

**संलग्नः– यथोपरि।**

(सुभाष कुमार)
**अध्यक्ष,**
राजस्व परिषद।

**प्रतिलिपि–**

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलाकनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सुभाष कुमार)
**अध्यक्ष,**
राजस्व परिषद।